भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2401
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सली हिंसा

+2401 श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी तत्वों से लगातार संघर्ष चल रहा है ;
(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां नक्सलवादी अधिक सक्रिय हैं तथा विगत पांच वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कितने नक्सलवादी मारे गए हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए ; और
(घ) उनकी निरंतर हिंसक गतिविधियों को रोकने में हमारी असमर्थता के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): जी, हां। राष्ट्र कई दशकों से वामपंथी उग्रवाद का सामना कर रहा है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को अनुमोदित किया था। संबंधित नीति में एक बहुआयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद को 09 राज्यों में 38 जिलों तक सीमित कर दिया गया है। प्रभावित जिलों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में पिछले पांच वर्षों (01 जनवरी 2019 से 15 जुलाई 2024 तक) के दौरान 647 वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मार गिराया गया और 207 सुरक्षा बल कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2401, दिनांक 06.08.2024

पिछले दशक के दौरान वामपंथी उग्रवाद (LWE) संबंधी स्थिति में सुधार हुआ है और देश इस समस्या को समाप्त करने की ओर अग्रसर है।

- नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं के उच्च स्तर की तुलना में वर्ष 2023 में इन घटनाओं में 73% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों (सिविलियन + सुरक्षा बल) में भी 86% की कमी आई है। वर्ष 2023 की समान अवधि के आंकड़ों की तुलना में वर्तमान वर्ष 2024 (दिनांक 30.06.2024 तक) में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 32% की अत्यधिक कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली सिविलियनों और सुरक्षा बल कार्मिकों की मौतों में 17% की कमी आई है।

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या वर्ष 2013 में 10 राज्यों में 126 से घटकर वर्ष 2024 में 09 राज्यों में केवल 38 रह गई है, जिससे वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा का भौगोलिक प्रसार भी काफी हद तक सीमित हो गया है।
- वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या वर्ष 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर वर्ष 2023 में 171 पुलिस स्टेशनों तक रह गई है। वर्ष 2024 (जून 2024 तक) में 89 पुलिस स्टेशनों द्वारा वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की सूचना दी गई है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्र .सं .2401, दिनांक 06.08.2024

अनुलग्नक

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 38 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले	
1.	आंध्र प्रदेश	01	अल्लूरी सीतारामराजू
2.	छत्तीसगढ़	15	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, मोहल्ला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी, खैरगढ़- छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली
3.	झारखण्ड	05	गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंघभूम
4.	केरल	02	वायनाड, कन्नूर
5.	मध्य प्रदेश	03	बालाघाट, मांडला, डिंडोरी
6.	महाराष्ट्र	02	गढ़चिरोली, गोंदिया
7.	ओडिशा	07	कालाहांडी, कंधमाल, बोलंगीर, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नौपाड़ा, रायगढ़
8.	तेलंगाना	02	भद्राद्री-कोठागुडेम, मुलुगु
9.	पश्चिम बंगाल	01	झारग्राम
कुल		**38**	

*****